न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 304/2024

प्रार्थीगण :-
1. सविता चौधरी दोहिती स्व.मांगीलाल
2. कुसुम चौधरी दोहिती स्व.मांगीलाल नाबालिग जरिये कुदरती वली बड़ी बहन सविता चौधरी
3. निशा चौधरी दोहिती स्व. मांगीलाल
4. सुमित चौधरी दोहिता स्व.मांगीलाल
5. बबली देवी पत्नी स्व.मांगीलाल
6. चेतनराम पुत्र स्व.मांगीलाल
7. राधेश्याम पुत्र स्व. मांगीलाल
8. सरोज देवी पुत्री स्व.मांगीलाल जातियान जाट निवासीगण जाटों के बास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
9. राहुल पटेल पुत्र चैनाराम जाति पटेल निवासी दीवान जी का प्याउ के पास बेरा लक्ष्मीसागर बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।
2. कमलादेवी पत्नी गोपीलाल
3. कमलादेवी पत्नी मनोहरसिंह
4. कमली पत्नी भभूतराम
5. भंवरीदेवी पत्नी भभूतराम
6. माडी पुत्री मुकनाराम जातियान खारडिया(सीरवी) निवासीगण बेरा हाम्बडों की बावडी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 1 -सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांकः- 19/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4. तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 6250/9 रकबा 1.1326 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई है। जो चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में प्रार्थीगण कुसुम चौधरी, राहुल पटेल, सुमित चौधरी, सविता चौधरी व गेनाराम पुत्र श्री पेमाराम के नाम दर्ज है। खातेदार गेनाराम पुत्र श्री पेमाराम का स्वर्गवास दिनांक 28.03.2022 को हो चुका है। खातेदार गेनाराम अविवाहित फौत हुआ, स्व गेनाराम के वारिस उसके भाई मांगीलाल की पत्नी बबलीदेवी, भाई के पुत्र चेतनराम, राधेश्याम, भाई की पुत्रिया सरोज देवी व संतोष देवी के वारिस सविता चौधरी, निशा, कुसुम व सुमित है। स्व. गेनाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नही होने से चालु जमाबन्दी में अभी तक स्व. गेनाराम का ही नाम दर्ज है। स्व. गेनाराम के उपरोक्त वारिस के अलावा और अन्य कोई जीवित वारिस नही है तथा स्व. गेनाराम के उपरोक्त वारिस को कानूनन स्व. गेनाराम के उक्त खसरे की भूमि में निहित व दर्ज हक व हिस्से की भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार जरिये उतराधिकार प्राप्त हुए है तथा उक्त खसरे की भूमि के सम्बंध में स्व. गेनाराम की ओर से उक्त वारिसान को स्व. गेनाराम के वारिसान होने के कारण किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही करने का कानूनन हक व अधिकार है, इसलिए स्व. गेनाराम की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्व. गेनाराम के उपरोक्त वारिसान की ओर से पेश किया जा रहा है तथा उक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण द्वारा ही उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण की संयुक्त

खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 6250/9 ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 में स्थित हिंगडीमाता मन्दिर जाने वाले डामरीकृत नजरी रास्ता पर व दोनो तरफ स्थित है, जिसे प्रार्थीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. आई.जे.के.एल. से दर्शित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 6250/14 रकबा 0.5259 हैक्टेयर को प्रार्थीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शे में मार्क जे. एम.एन.ओ. से दर्शित किया गया है। उपरोक्त मार्क अनुसार ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/14 पर मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 से 6 का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 के पूर्वी भाग पर चारों तरफ दीवार निर्मित करवा रखी है तथा पश्चिमी भाग पर तारबन्दी कर रखी है, जो मौके पर मौजूद है, जिसके सम्बंध में रंगीन फोटोग्राफ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पेश है। हाल ही में डी.आई.एल.आर.एम.पी. कार्यक्रम के तहत बिलाड़ा तहसील के समस्त ग्राम के खसरों की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम की गयी जिसमें प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 6250/9 व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 6250/14 की भी ऑनलाईन नक्शे में तरमीम की गयी जो गलत की गयी क्योकि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 की ऑनलाईन नक्शे में की गयी तरमीम मौके अनुसार नही की गयी जबकि मौके पर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 प्रार्थना पत्र के – साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. पौस के अनुसार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/14 की ऑनलाईन नक्शे में की गयी तरमीम मौके अनुसार नहीं की गयी जबकि मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/14 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क जे.एम.एन.ओ. के अनुसार है। इस प्रकार ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा सख्या 6250/14 की तरमीम मौके से विपरित जाकर व बिना मौके की जॉच करके गलत की गयी, जबकि उपरोक्त दोनो खसरान की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी. सी. डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे.के.एल. व मार्क जे.एम.एन.ओ. के अनुसार होनी चाहिए थी। इसलिए खसरा संख्या 6250/9 व खसरा संख्या 6250/14 की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई. एफ.जी.एच.आई.जे.के.एल. व मार्क जे.एम.एन.ओ. के अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इसलिए पक्षकार बनाया गया क्योकि उनकी संयुक्त खातेदारीसुदा भूमि खसरा संख्या 6250/14 की ऑनलाईन नक्शे में जहा गलत तरमीम की गयी वहा पर मौके पर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 स्थित है तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 की मौके अनुसार सही तरमीम करने से अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/14 की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम प्रभावित होगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 से 6 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 की मौके अनुसार सही तरमीम करने से प्रभावित है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 से 6 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में

प्रभावित पक्षकार होने के नाते पक्षकार बनाया गया है। खसरा संख्या 6250/9 व खसरा संख्या 6250/14 की भूमि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4, तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 6250/9 रकबा 1.1326 हैक्टेयर की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे.के.एल. के अनुसार दुरुस्त किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को फरमाया जावे साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 6250/14 रकबा 0.5259 हैक्टेयर की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क जे.एम.एन.ओ. के अनुसार दुरुस्त किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को फरमाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 से 6 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवार मण्डल बिलाड़ा चक नं. 4 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 रकबा 1.1326 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ में सहखातेदार सविता चौधरी वगैरा खातेदार दर्ज रेकर्ड है। पटवार मण्डल बिलाड़ा चक नं. 4 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6250/9 व खसरा नम्बर 6250/14 का मौके पर कब्जा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी मौका फर्द अनुसार है। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका फर्द प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार की है, जिसको लेकर दोनो पक्षों को कोई एतराज नही है। पटवार मण्डल बिलाड़ा चक नं. 4 के खसरा संख्या 6250/9 व खसरा नम्बर 6250/14 की ऑनलाईन तरमीम मौका फर्द के अनुसार नही है। पटवार मण्डल बिलाड़ा चक नं. 4 के खसरा संख्या 6250/9 व खसरा नम्बर 6250/14 की ऑनलाईन तरमीम डी.आई.एल.आर.एम.पी. कार्यक्रम के तहत की गयी, जो सहवन से कब्जे से भिन्न है। कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नही है। दोनो खसरान की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी मौका फर्द के अनुसार किया जाना आवश्यक है। पटवार मण्डल बिलाड़ा चक नं. 4 के खसरा संख्या 6250/14 रकबा 0.5259 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ में सहखातेदार कमलादेवी वगैरा खातेदार दर्ज रेकर्ड है।

अतः जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 6250/9 रकबा 1.1326 हैक्टेयर व खसरा संख्या 6250/14 रकबा 0.5259 हैक्टेयर की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 के अनुसार दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं फर्द मौका रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम बिलाडा चक 4 तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 6250/9 रकबा 1.1326 हैक्टयर प्रार्थीगण की रेकर्डेड सहखातेदारी है। लेकिन ऑनलाईन नक्शे में भूमि खसरा नंबर 6250/9 की तरमीम गलत कब्जे से भिन्न दर्शायी गयी है। ऑनलाईन नक्शे में तरमीम राजकीय भूमि पर होना बताया। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 6250/14 में ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया किन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल रेकर्डेड खातेदार ही अपने खसरा को दुरूस्त करवाने का अधिकारी होता है जबकि खसरा नंबर 6250/14 में प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार नहीं है। सरकारी पैरोकार तहसीलदार बिलाडा द्वारा खसरा नंबर 6250/9 रकबा 1.1326 हैक्टयर की ऑनलाईन नक्शें में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 के अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के वादग्रस्त आराजी में ऑनलाईन नक्शे में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:-आदेश-:

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम बिलाडा चक 4 तहसील बिलाडा के खसरा सं. 6250/9 रकबा 1.1326 हैक्टयर की तरमीम (अगर वादग्रस्त आराजी से कोई सरकारी भूमि खसरा लगा हुआ तो सरकारी खसरे के मौके व रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा) फर्द मौका रिपोर्ट 06/02/2025 में संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 06/02/2025 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19/11/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा